**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा।**

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–547/2026**

**CNR No.UPGD010016282026**

अतुल कुमार आयु करीब 32 वर्ष पुत्र स्व0 जगन्नाथ, निवासी बेलहरी, थाना–धानेपुर, जिला–गोण्डा।

----------**प्रार्थी/अभियुक्त।**

**बनाम**

सरकार उत्तर प्रदेश ---------- **अभियोगी।**

मु0अ0सं0–41/2025,
धारा–352 भा0न्या0सं0
थाना–धानेपुर, जिला गोण्डा।

**दिनांक–09.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त अतुल कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–41/2025, धारा–352 भा0न्या0सं0, थाना–धानेपुर, जिला गोण्डा के अभियोग में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की तहरीर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा में दर्ज करायी गयी कि दिनांक 24.02.25 को रात्रि लगभग 08:00 बजे प्रार्थी की नाबालिग पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 15 वर्ष अपनी मां के साथ शौच के लिए गयी थी जब प्रार्थी की पुत्री घर की पूरब तरफ स्थित अपने खेत में पहुॅची तो वहां पर पहले से घात लगाकर छुपकर बैठे मेरे गांव के गनेशदत्त पुत्र राम कुमार व अतुल पुत्र स्व0 जगन्नाथ मिले। गनेशदत्त पाण्डेय ने मेरी पुत्री पीड़िता का जबरन हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा तथा कपड़ा फाड़ दिया, विरोध करने पर मेरी लड़की को मारा तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। मेरी पुत्री जब मौके पर पहुॅची तो उक्त दोनो लोग भाग गये। अतः रिपोर्ट दर्ज कर के कार्यवाही करने की कृपा की जावे।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर प्रकरण आवेदक/अभियुक्त व एक अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 352 बीएनएस के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

अभियुक्त की ओर से जमानत आधार में यह कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा करके विलम्ब से दर्ज कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का वादी मुकदमा से आपसी रंजिश काफी समय से चल रही है, इसी रंजिश के कारण उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष व बेगुनाह है। प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृति का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त सक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त



Digitally signed by NIRBHAY PRAKASH
Date: 2026.03.14 19:32:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की पीड़िता को लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली गुप्ता देने का अभियोग लगाया गया है। प्रकरण में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसका संज्ञान भी लिया जा चुका है, अर्थात साक्ष्य संकल्न शेष नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दो वर्ष के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Satender Kumar Antil Vs Central Bureau of Investigation & Anr. (2022)10 SCC 51** के आलोक में आवेदक/अभियुक्त जमानत पाने की अधिकारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत अभिव्यक्त किये हुए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अतुल कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–41/2025, धारा–352 बीएनएस, थाना–धानेपुर, जिला–गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–547/2026 स्वीकार किया जाता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2025 ए0एच0सी0 136034** के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/– (बीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की **एक** प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है–

1–अभियुक्त निष्पादित बन्ध–पत्र के शर्तो के अनुसार हाजिर रहेगा।

2–अभियुक्त उक्त जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

3–अभियुक्त विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण; धमकी या वचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

4–अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण में प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(निर्भय प्रकाश)
आई0डी0नं0–यू0पी01687
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा।

दिनांक–09.03.2026